प्रेस नोट **दिनाक 08.01.2025**

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 08.01.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त अब्दुल अव्वल पुत्र अहद निवासी मोहल्ला मूदनपुरी बांस की मस्जिद थाना कोतवाली नगर, थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त चन्दन पुत्र झल्लू निवासी नरई बांध थाना सरायलखन्सी, थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्रीराम राजभर पुत्र राम हरख निवासी कोल्हाड़ थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व थाना मधुबन द्वारा वारंटी अभियुक्तगण पुष्पा देवी पत्नी भोला निवासी ग्राम मुरार पुर थाना मधुबन, पप्पू कुमार चौरसिया पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी मधुबन, रामसिंह पुत्र प्रेमचन्द चौहान निवासी सिंघासन मठिया थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना दोहरीघाट पर विभिन्न मुकदमों मे बरामद अवैध शराब को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे किया गया विनष्टीकरण

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन क्लीन अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ एवं क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 08.01.को 2026 थाना दोहरीघाट पर माननीय न्यायालय सिविल जज)सी/त्वरित (डि00अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के प्राप्त आदेश दिनांक 08..122025 के क्रम मे, श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट घोसी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 06.01. 2026के द्वारा गठित टीम सदस्य श्री अमर नाथ यादव नायब तहसीलदार दोहरीघाट जनपद मऊ ,श्री संजय कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना - दोहरीघाट जनपद मऊव निरी 0अपराध श्री सुभाष चन्द्र यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के समक्ष विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत कुल 11 मुकदमों से संबंधित माल लगभग 5474 लीटर अंग्रेजी शराब, 2304 लीटर बीयर व 136 लीटर देशी कच्ची शराब को विनष्ट किया गया।

विनष्ट किये गये माल विवरणः-

1. मु0अ0सं0 225/23 धारा 60Ex.Act शराब ली कच्ची देशी0 40
2. मु0अ0सं0 50/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम 20 लीटर कच्ची देशी शराब
3. मु0अ0सं0 58/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम 20 लीटर कच्ची देशी शराब
4. मु0अ0सं0 69/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम 30 लीटर कच्ची देशी शराब
5. मु0अ0सं0 71/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम 20 लीटर कच्ची देशी शराब
6. मु0अ0सं0 170/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम 48 शीशी 180एमएल 8 ली0 अंग्रेजी शराब 6 लीटर।
7. मु0अ0सं0 56/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम 10 अदद फ्रुटी बन्टी बबली कुल 02 लीटर
8. मु0अ0सं0 84/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम 20 अदद फ्रुटी बन्टी बबली कुल 04 लीटर
9. मु0अ0सं0 231/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम .8PM फ्रुटी प्रति फ्रुटी एमएल 09 180 पेटी मे कुल 77. लीटर अंग्रेजी शराब 76आफिसर च्वाईस कुल पेटी प्रति फ्रुटी 180 05 एमएल कुल 43ीटर अंग्रेजी शराब. रायल स्टेज कुल पेटी प्रति शीशी 750 एमएल कुल 02 लीटर अंग्रेजी शराब 18टूबर्ग बीयर पेटी कुल 264 लीटर 22बडवाईजर बीयर पेटी 04 कुल 48 लीटर कुल 450.लीटर अंग्रेजी शराब 96
10.
    मु0अ0सं0 15/24 /60/63/आबकारी अधि0 व 420 72/467/468/471/ बी भादवि120

मु0अ0सं0 94/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम 20 लीटर कच्ची देशी शराबपेटी थण्डर बोल्ट 66 टूबर्ग बीयर बीयर व126 पेटी**कुल लीटर बीयर 2304**

सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इस संदर्भ में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा संबंधित अभियुक्त अजमल सऊद पुत्र आफताब आलम निवासी बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170 126 135 बीएनएसएस में चालान न्यायालय किया गया।